(2)

तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :– 03/2022** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी का नाम रामदेवा पुत्र जैला के बजाय प्रभुदयाल पुत्र जैला शुद्ध किया जा चूका है एवं रूकमानंद पुत्र जैला के स्थान पर गिरधारी पुत्र जैलाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंसा की है। पत्र के साथ संलग्न जमाबंदी के अनुसार प्रभुदयाल पुत्र जलाराम हिस्सा 1/6 एवं रूकमानंद पुत्र जैला हिस्सा 1/6 दर्ज है। आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रूकमानंद के स्थान पर प्रभुदयाल एवं रामदेव की जगह गिरधारीलाल किये जाने हेतु निवेदन किया है जबकि तहसीलदार झुन्झुनूं की रिपोर्ट एवं संलग्न जमाबंदी के अनुसार रामदेव के स्थान पर प्रभुदयाल दर्ज हो चूका है एवं रूकमानंद का नाम खाते में दर्ज है। प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र द्वारा चाहा गया अनुतोष एवं तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में विरोधाभाष है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	